नेताओं ने दी चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि

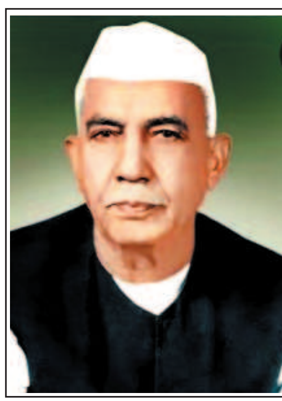

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर (वार्ता)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दिन को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है.

कांग्रेस नेताओं ने दी शुभकामनाएं- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने किसान दिवस पर सभी किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, किसान ही हिंदुस्तान है, देश का अभिमान है. चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन. उन्होंने मोदी सरकार से अपील की कि वह किसानों के प्रति अन्याय न करें और अपने पुराने वादों पर अमल करें.

पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किसानों के योगदान को सराहा और उनके हक, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहने का संकल्प लिया.

गरीबों और किसानों के सच्चे हितैषी : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा, गरीबों और किसानों के सच्चे हितैषी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि. राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवाभाव हर किसी को प्रेरित करता रहेगा.

उप राष्ट्रपति धनखड़ ने किया नमन

धनखड़ ने किसान घाट पर चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और कहा, अगले साल किसान दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, इसे पूरे देश में एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि बाजार में उनकी भागीदारी जरूरी है.

महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को बांटी नीली-पीली पर्चियां

नई दिल्ली, 23 दिसंबर. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने सोमवार को पूर्वी किदवई नगर से महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की. इस दौरान केजरीवाल ने महिलाओं को नीली और पीली पर्चियां बांटकर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की.

इसमें महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन के बाद महिलाओं को पीली पर्ची और संजीवनी योजना के लिए लाभार्थियों को नीली पर्चियां दी जा रही है. इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है. केजरीवाल ने महिलाओं को योजनाओं के लाभ बताएं और साथ ही कहा कि चुनाव नजदीक है, उससे पहले पैसा मिलना मुश्किल है.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का विवरण इस योजना के तहत, लाभार्थियों को एक कार्ड और पर्ची दी जाएगी. महिलाओं को चुनाव के बाद 2100 रुपए और 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या केवल पर्ची प्राप्त करने से रजिस्ट्रेशन पूरा होगा या फिर डॉक्युमेंट्स को किसी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.

बंगलादेश अवामी लीग के 167 नेताओं का आत्मसमर्पण

ढाका. बंगलादेश की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के कुल 167 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हथियारों और विस्फोटकों से जुड़े चार मामलों में जेसोर अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है. मीडिया रिपोर्टों में सोमवार को यह जानकारी दी गयी. न्यायाधीश ने 42 व्यक्तियों को जमानत दे दी, जबकि शेष को जेल भेज दिया गया.

14 कृषि उपजों की सूची में विस्तार

24 फसलों को एमएसपी पर अधिसूचित किया

चंडीगढ़, 23 दिसंबर. हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए 24 फसलों को अधिसूचित किया है. इससे 14 कृषि उपजों की सूची का विस्तार हुआ है जो पहले सार्वजनिक खरीद प्रणाली के तहत गारंटीकृत दरों के लिए पात्र थे.

पिछली सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही एमएसपी पर 10 अतिरिक्त फसलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. उस सरकार के प्रदेश मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की थी.

अतिरिक्त फसलों के लिए एमएसपी पर निर्णय की घोषणा अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पांच अगस्त को की गई थी. अगस्त तक सरकारी एजेंसियां 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद करती थीं. नवीनतम अधिसूचना 19 दिसंबर की है. इसके अनुसार, तत्कालीन मंत्रिपरिषद ने पांच अगस्त को अपनी बैठक में रागी, सोयाबीन, नाइजरसीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और ग्रीष्मकालीन मूंग को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया था.

अधिसूचना में कहा गया है कि यह उन फसलों के अतिरिक्त है जिनकी खरीद पहले से की जा रही है, जिनमें धान, बाजरा, खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, गेहूं और सरसों शामिल हैं. पांच अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा था कि एमएसपी का निर्णय किसानों के कल्याण के लिए सरकार के कई उपायों का हिस्सा है.

राष्ट्रपति ने राज्यसभा का सत्रावसान किया

नयी दिल्ली 23 दिसम्बर (वार्ता) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को राज्यसभा का सत्रावसान कर दिया.राज्यसभा सचिवालय ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा का सत्रावसान कर दिया है.

संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवम्बर को शुरू हुआ था और 20 दिसम्बर को राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी थी.

ट्रम्प-पुतिन परमाणु प्रतिबंधों पर करेंगे चर्चा

मॉस्को, 23 दिसंबर (वार्ता) अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आगामी सीधी बातचीत के दौरान परमाणु क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी प्रतिबंधों के विकल्पों पर चर्चा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डेरिल किमबॉल ने 'आरआईए नोवोस्ती' को यह जानकारी दी.

नीतीश कुमार ने शुरू की प्रगति यात्रा

पटना, 23 दिसंबर (वार्ता) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य का अबतक हुए विकास एवं सरकार से और उम्मीद लगाए जनता से बातचीत कर उसे पूरा करने की मुहिम यानी प्रगति यात्रा पर निकले. कुमार अपने पूर्व की चौदह यात्राओं की तरह प्रगति यात्रा का भी शुभारंभ करने के लिए सोमवार सुबह पटना हवाईअड्डे से पश्चिम चंपारण के लिए निकले.

इस यात्रा में उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद संजय कुमार झा तथा अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं.

आज का इतिहास

1966 दक्षिण वियतनाम के एक छोटे से गाँव में अमेरिकी सेना द्वारा चार्टर्ड एक कनाडेयर विमान दुर्घटनाग्रस्त. 129 मारे गए.

1968 अपोलो 8 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान बने.

1979 आर्यन लांचर का पहला प्रक्षेपण.

1986 भारत में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया. इसलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रिए उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है.

1997 सिड अल-अंत्री नरसंहार में 50-100 लोग मारे गए.

NAME CHANGE

I SHABBIR S/O HATIM BHAI VAKIL HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME AS **SHABBIR HUSAIN VAKIL** SAHEB SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME **SHABBIR HUSAIN VAKIL SAHEB S/O HATIM BHAI VAKIL**

ADD: 77, WARD NO 28, NEAR MOHAMMADI MASJID BOHRA BAKHAL MANDSAUR

कार्यालय नगर पालिका परिषद, खरगोन, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश

दूरभाष (कोड-07282) फोन नं. 232883, फैक्स 231333, Email- cmokhargone@mpurban.gov.in

क्र./18060/मेला/2024 — खरगोन, दिनांक : 18.12.2024

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिका परिषद खरगोन द्वारा अनुभवी समस्त टेंट व्यवसायियों/ए क्लास विद्युत ठेकेदार/प्रदायक को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नवग्रह मेला आयोजन दिनांक 25 दिसंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक की अवधि के लिए आयोजन किया जा रहा है। श्री नवग्रह मेला अवधि के लिए व्यवस्थाएं की जाने हेतु आयटम रेट एल-1 आधारित (टेंट सामग्री एवं विद्युत सामग्री) तथा लम्प सम दर (सी.सी.टी.व्ही. कैमरा) पर दरें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यवसायी/प्रदायक/ए क्लास विद्युत ठेकेदार से निम्नांकित कार्य की दरें आनलाईन आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि व लागत	अमानत राशि	समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.
2024_UAD_389866_1	मेला अवधि हेतु टेंट व्यवस्था एवं बैठक व्यवस्था हेतु सामग्री प्रदाय करने हेतु	मेला अवधि 8.00 लाख	8000/-	संपूर्ण मेला अवधि	2000/-
2024_UAD_389869_1	मेला अवधि हेतु विद्युत व्यवस्था (आवश्यकतानुसा जनरेटर उपलब्धता)	मेला अवधि 3.00 लाख	3000/-	संपूर्ण मेला अवधि	2000/-
2024_UAD_389871_1	मेला अवधि के दौरान कानून एवं सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, हार्डडिस्क (रिकार्डिंग अवधि) केबल वायर मानिटर आदि समस्त उपकरण सहित लगाया जाना एवं संचालित करना लगभग 90 नग	मेला अवधि 2.00 लाख	2000/-	संपूर्ण मेला अवधि	2000/-

नोट:- उक्त वेबसाइट आनलाईन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। आनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय एवं जमा करने की तिथि 20.12.2024 से 26.12.2024 सायं 5.30 बजे तक निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है।

(छाया जोशी)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, खरगोन

(एम.आर. निंगवाल)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, खरगोन

TATA टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुबंई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375 शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के उपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर-452001.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ट IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 19-04-2023 को **श्री दिनेश पाटीदार** को ऋणी एवं **श्री ओमप्रकाश पाटीदार, उमा बाई पाटीदार, श्रीमती शिवकांता पाटीदार, श्रीमती अनुराधा पाटीदार, श्री महेश पाटीदार, श्री घनश्याम पाटीदार, सह-ऋणी** के रूप में बुलाते हुए नोटिस में उल्लेखित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी किया है, 19-04-2023 तक **रु. 1,57,81,996/- (रुपए एक करोड़ सत्तावन लाख इक्कयासी हजार नौ सौ छियान्वे मात्र)** की राशि अनुबंध संख्या **9661881** के अंतर्गत ब्याज, दंड ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर करना है।

चूंकी ऋणी, राशि चुकाने में विफल होने पर, विशेष रुप से उधारकर्ता को और सामान्य रुप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर** द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 **प्रकरण क्रमांक 0158/B-121/2023-2024** के अनुसार यहां वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है एवं दिनांक **20.12.2024** को तहसीलदार द्वारा एवं उक्त तहसीलदार के माध्यम से **भौतिक कब्जा** अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दिया है।

ऋणी का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

ऋणी को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें, यदि कोई संव्यवहार किया गया तो **रु. 1,57,81,996/- (रुपए एक करोड़ सत्तावन लाख इक्कयासी हजार नौ सौ छियान्वे मात्र)** की राशि अनुबंध संख्या **9661881** तहत **19-04-2023** तक आपके द्वारा देय है, साथ ही उस पर ब्याज और दंड ब्याज, शुल्क, लागत इत्यादि हेतु **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण अनुसूचि- ए

मकान नं. 428, एमआईजी डुपलेक्स नालंदा, केशर बाग रोड़, इंदौर प्लाट एरिया 49.50 वर्गमीटर, **चर्तुसीमा** : पूर्व : मकान नं. 427, पश्चिम: मकान नं. 429, उत्तर: मकान नं. 435, दक्षिण: रोड़

दिनांक : 20.12.2024 — **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : इन्दौर (म.प्र.) — **वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013. शाखा कार्यालय : 9/1/1, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, येस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर-452001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **28-01-2025** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **28-01-2025** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **27-01-2025** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड़, इंदौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/कानूनी वारिस(सों)/जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	कब्जे का प्रकार	दिनांक 17-12-2024 तक बकाया
1	10507019	सुश्री पूनम विश्वकर्मा, श्री मलखान विश्वकर्मा	Rs. 8,40,895/- (रुपये आठ लाख चालीस हजार आठ सौ पंचानबे मात्र) & 22-09-2021	Rs. 15,00,000/- (रुपये पंद्रह लाख मात्र)	Rs. 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)	भौतिक	Rs.12,11,871/- (रुपये बारह लाख ग्यारह हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण: उक्त अचल संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश एक आवासीय मकान/प्लॉट नंबर 287 है जिसका माप लगभग 600.00 वर्ग फीट अर्थात् 55.76 वर्ग मीटर है, जो एक विकसित आवासीय कॉलोनी जिसे 'विमल विहार कॉलोनी' के नाम से जाना जाता है, पटवारी हल्का नंबर 4/1 भूमि जिसका भू-राजस्व सर्वे नंबर 784/4/1 है, ग्राम: महूगांव, नगर पंचायत क्षेत्र: महूगांव तहसील: महू और जिला: इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। **चर्तुसीमा:-** पूर्व: प्लॉट नंबर 288, पश्चिम: प्लॉट नंबर 286, उत्तर: सड़क, दक्षिण: कॉलोनी की भूमि।

नोट: उधारकर्ता द्वारा TCHFL (SA/1153/2024) के खिलाफ दायर प्रतिभूतिकरण आवेदन DRT, जबलपुर के समक्ष लंबित है नीलामी TCHFL मुकदमे के परिणाम के अधीन होगी।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले उचित सावधानी बरतें, नीलामी मुकदमे के परिणाम के अधीन होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/कानूनी वारिस(सों)/जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	कब्जे का प्रकार	दिनांक 17-12-2024 तक बकाया
2	9847764	श्रीमती सीमा राठौर, श्री दीपक राठौर	Rs. 6,62,227/- (रुपये छ: लाख बासठ हजार दो सौ सत्ताईस रूपये मात्र) & 17-07-2024	Rs. 11,00,000/- (रुपये ग्यारह लाख मात्र)	Rs. 1,10,000/- (रुपये एक लाख दस हजार मात्र)	भौतिक	Rs.7,31,615/- (रुपये सात लाख इकतीस हजार छ: सौ पंद्रह रूपये मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण: ग्राम डबल चौकी तहसील व जिला देवास पटवारी हल्का नंबर 51 नया 101 में स्थित भूमि पर विकसित आवासीय कॉलोनी मंगल सिटी में भूखंड क्रमांक 24, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट 92.93 वर्ग मीटर है, **चर्तुसीमा:-** पूर्व:- प्लाट नं. 25, पश्चिम : प्लाट नं. 26, उत्तर : कॉलोनी रोड, दक्षिण : अन्य की भूमि

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल http://bankauctions.in/ के माध्यम से दिनांक 28-01-2025 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु. 10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। **आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी** के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **17-01-2025** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। 12. **अन्य किसी विवरण अथवा संभावी निविदाकार को ई-नीलामी पर प्रक्रिया आनलाईन प्रशिक्षण के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, छटी मंजिल मैत्रीवनम कमर्शियल कॉम्पलेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 ईमेल आईडी: info@bankauctions.in या मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 8588983696 से संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **http://surl.li/naizhk** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : इन्दौर — **ह/- (प्राधिकृत अधिकारी)**
दिनांक : 24-12-2024 — **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.**

ई-नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN - U67100MH2007PLC174759

पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, पहली मंजिल, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई - 400098.

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

असाइनर की वित्तीय सुविधाएं **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को सौंपी गई हैं, जो दिए गए कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है। उक्त असाइनमेंट के अनुसरण में, **ईएआरसी** ने असाइनर के स्थान पर कदम रखा और सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया। **ईएआरसी** ने, सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपनी क्षमता में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और उसके तहत नियमों के तहत नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था।

एतद्द्वारा नोटिस सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार और जमानती (ओं) को **30 दिन की सूचना** दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पक्ष में बंधक अधोल्लिखित अचल प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ जिनका **भौतिक कब्जा** प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा ले लिया गया है, **ईएआरसी** के देय नीचे वर्णित राशियों और इस पर आगे की ब्याज व अन्य व्यय / लागतों, घटाए कर्जदार और जमानती से **ईएआरसी** को प्राप्त कोई धनराशि, की वसूली के लिए "जो है जहाँ है" और "जहाँ है, जैसी भी है" और "जो भी है" आधार पर बिक्री की जायेगी। प्रत्येक संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे वर्णित हैं। इस नोटिस को सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं नियम 9(1) के तहत बिक्री की सूचना के रूप में माना जाएगा।

नीलामी के लिए रखीं प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण:

ऋण खाता सं./बिक्री संस्थान	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	बैंक और शाखा का नाम, खाता नंबर और आईएफएससी कोड	कुल बकाया देय रूपयों में	आरक्षित मूल्य (रु. में)	अग्रिम जमा राशि ईएमडी (रु. में)	नीलामी तिथि व समय	कब्जे का प्रकार
PR00620886 & PR00814345 /SBFC	1. किशोर कुमार चौधरी (ऋणी एवं बंधककर्ता) 2. श्रीमती सीमा चौधरी (सह-ऋणी) 3. श्रीमती कविता चौधरी (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)	EARC Trust SC-424	Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited - EMD ACCOUNT - [000405158602] Bank -ICICI BANK IFSC ICIC0000004	₹ 1,01,92,151.74 एवं ₹ 10,20,326.65	₹ 35,00,000/ (रुपये पैंतीस लाख मात्र)	₹ 3,50,000/- (रु. तीन लाख पचास हजार मात्र)	28.01.2025 दोपहर 12.30 बजे	भौतिक

संपत्ति का विवरण: संपत्ति क्रमांक 1: संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश गोदाम जिसका नंबर 02 है (छत की ऊंचाई तक) 220.00 वर्ग फीट माप का प्लॉट नंबर 02 पर निर्मित, मीना बाजार रोड के उत्तर की ओर स्थित, वार्ड क्रमांक 27, (भोपाल चौराहा एवं होटल विश्वास के बीच में) देवास सीनियर देवास (मध्य प्रदेश), **चर्तुसीमाएँ :-** पूर्व : गोदाम नंबर 1, पश्चिम: गोदाम 03, उत्तर: परिणय वाटिका गार्डन, दक्षिण: श्रीमती कविता चौधरी की दुकान, **संपत्ति क्रमांक 2:** दुकान क्रमांक 02 का पूरा हिस्सा (छत की ऊंचाई तक), प्लॉटक्रमांक 02 पर निर्मित, मीना बाजार रोड के उत्तर की ओर स्थित, वार्ड क्रमांक 27, (भोपाल चौराहा और होटल विश्वास के बीच में) देवास सीनियर देवास (मध्य प्रदेश) क्षेत्रफल 186.00 वर्ग फीट, **चर्तुसीमाएँ :-** पूर्व : परिणय वाटिका का कार्यालय, पश्चिम: दुकान क्रमांक 03, उत्तर: परिणय वाटिका उद्यान, दक्षिण: परिणय वाटिका की पार्किंग

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी:

1.	ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) ''एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएमडी अकाउंट'' के पक्ष में मुंबई में देय होगा।	
2.	आरटीजीएस के माध्यम से किए गए ईएमडी भुगतान निम्नलिखित खाते में होंगे: खाता का नाम: ''एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएमडी खाता'' खाता संख्या: 000405158602; बैंक का नाम -आईसीआईसीआई बैंक; आईएफएससी कोड: IFSC ICIC0000004	
3.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राप्त किए जायेंगे।
4.	बोली जमा करने का स्थान	पहली मंजिल, एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड़, कलिना, मुम्बई - 400098
5.	नीलामी का स्थान (नीलामी हेतु वेबसाईट)	ई-नीलामी (https://auction.edelweissarc.in)
6.	संपर्क विवरण	टोल फ्री नंबर : 1800 266 6540
7.	संपत्ति के निरिक्षण की तिथि एवं समय	पूर्व समयादेशानुसार

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया ईएआरसी की वेबसाइट अर्थात **https://auction.edelweissarc.in** पर दिया लिंक देखें।

दिनांक : 24-12-2024 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : मुम्बई — **वास्ते एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**

Edelweiss Asset Reconstruction

मणिभवनम होम फायनेंस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड ManiBhavnam Home Finance

पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल, एन-2, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049

कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8 (3)]

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी द्वारा **मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**, (इसके बाद 'एमबीएचएफ' से संदर्भित), एमबीएचएफ, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किया गया है, दिनांक 17.06.2021 की एक अधिसूचना के माध्यम से,' वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रयोजनों के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में माना जायेगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय है- दूसरा तल, एन-2, साउथ एक्सटेंशन भाग-1, नई दिल्ली-110049 का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (इसके बाद 'अधिनियम' से संदर्भित) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13 (2) के सहपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में मांग सूचना जारी करते हुए सूचना में उल्लेखित राशी रुपए तक संग लागू ब्याज और अन्य प्रभारों कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर द्वारा ऋण भुगतान करने की मांग की गई थी परन्तु कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा हैं, कर्जदार और आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे कथित संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का लेनदेन मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देय रुपये और उस पर ब्याज सहित प्रभार के अधीन होगा। कर्जदारों का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

ऋणी/सहऋणी व गारंटर के नाम पता व अन्य जानकारी : **1.प्रकाश बाई पति श्री भगवान सिंह, 2. भगवान सिंह पिता श्री चंदर सिंह, 3. इन्दर सिंह पिता श्री चंदर सिंह, 4. चंदर सिंह राजपूत पिता श्री राम सिंह, 5.गोविन्द बाई पति श्री चंदर सिंह, सभी निवासी** - मकान नं 778 ग्राम नेवरी, नेवरी बागली देवास म.प्र. 455223 **अन्य पता:** एमएस रक्षक सिक्यूरिटास प्राइवेट लिमिटेड एमपीपीकेवीवीसीएल देवास बागली डिवीजन देवास-455001 व मेसर्स रक्षक सिक्योरिटीज़ प्रा लि. म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. बागली डिवीज़न देवास 455001 व पटवारी हल्का नं. 06, ग्राम नेवरी, तहसील हाटपिपलिया, जिला देवास म.प्र. 455223, व **चंदर सिंह राजपूत पिता श्री राम सिंह का अन्य पता** ग्राम नेवरी वार्ड नं 15, बाय-पास रोड, तह. हाटपिपलिया, देवास म.प्र 455223 मांग **सूचना पत्र दिनांक** 08.10.2024 अनुसार देय राशी : रु. 669553.19/- (रुपए छः लाख उनहत्तर हजार पांच सौ तिरेपन रुपये एवं उन्नीस पैसा) दिनांक 14.10.2024 तक, ऋण क्रमांक : LP0000000003900; **अचल सम्पत्ति/प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण निम्न प्रकार:** पटवारी हल्का नं. 06, ग्राम नेवरी, तहसील हाटपिपलिया, जिला देवास म.प्र. 455223 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग **कुल मापक क्षेत्र** 120 वर्ग मीटर जिसका सीमांकन निम्न प्रकारः **पूर्वः** विक्रेता की शेष भूमि, **पश्चिमः** श्री रमेश जाट की भूमि, **उत्तरः** नेवरी बाय-पास रोड, **दक्षिण:** श्री रमेश जाट की भूमि

कब्जा प्राप्त करने की दिनांक 23.12.2024 स्थान: देवास

दिनांक: 23-12-2024 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: म.प्र. — **मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**